प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं0 : 796 सन 2021
अनवान :–

1. गोपीराम पुत्र आदराम जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. बेलीराम पुत्र आदराम जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
2. भूरी देवी पत्नी सरजीत जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
3. सवीन पुत्रीया सरजीत जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
4. मन्जु पुत्रीया सरजीत जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
5. पुष्पा पुत्री सरजीत जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
6. धापा पुत्री सरजीत जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
7. वैदिका पुत्री सरजीत जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
8. रमा पत्नी आदराम जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
9. विमला पुत्री आदराम जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
10. सुमन पुत्री आदराम जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
11. कमला पुत्री आदराम जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
12. शंकरलाल पुत्री तीजा पुत्री आदराम जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर ।
13. बसन्ती पुत्री तीजा पुत्री आदराम जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
उपस्थित : श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 12.10.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 3/3 की कुल 3.0360हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आदराम पुत्र ईशर के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि आदराम पुत्र ईशर के नाम से दर्ज है जो वादी के पूर्वज है आदराम पुत्र ईशर का देहान्त हो चुका है तथा उनके वारिसान पुत्र/पुत्रीयों में से पुत्री तीजा, पुत्र सरजीत, का देहान्त हो चुका है आदराम एवं उसकी पुत्री तीजा एवं पुत्र सरजीत के देहान्त होने पर उनके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 है जो आदराम पुत्र ईशर के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 वादी की बहनें एवं बहन एवं भाई सरजीत के पुत्रिया है प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वज आदराम पुत्र ईशर के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है आदराम की एक पुत्री एवं एक पुत्र का देहान्त हो चुका है इसलिये आदराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

भूमि को अपने भाई/पिता/माता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकवाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 3/3 की कुल 3.0360हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आदराम पुत्र ईशर के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उनके पूर्वज आदराम पुत्र ईशर के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है एव आदराम के एक पुत्री तीजा एक पुत्र सरजीत का देहान्त हो चुका है आदराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 है जो आदराम के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश की जा चुकी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 13 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 3/3 की कुल 3.0360हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आदराम पुत्र ईशर के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 प्रत्येक 1/3 – 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/10/2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट.......ओगसी

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. गोपीराम पुत्र आदराम जाति मेधवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 बेलीराम पुत्र आदराम जाति मेधवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
2. भूरी देवी पत्नी सरजीत जाति मेधवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
3. सचीन पुत्रीया सरजीत जाति मेधवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
4. मन्जु पुत्रीया सरजीत जाति मेधवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
5. पुष्पा पुत्री सरजीत जाति मेधवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
6. धापा पुत्री सरजीत जाति मेधवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
7. वैदिका पुत्री सरजीत जाति मेधवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
8. रमा पत्नी आदराम जाति मेधवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
9. बिमला पुत्री आदराम जाति मेधवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
10. सुमन पुत्री आदराम जाति मेधवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
11. कमला पुत्री आदराम जाति मेधवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
12. शंकरलाल पुत्री तीजा पुत्री आदराम जाति मेधवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. बसन्ती पुत्री तीजा पुत्री आदराम जाति मेधवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 796 सन 2021 निर्णय दिनांक– 12.10.21

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 जेएसएन बी के खाता संख्या 3/3 की कुल 3.0360हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आदराम पुत्र ईशर के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 प्रत्येक 1/3 – 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट........

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner